दिनांक 29.08.2021
प्रेस विज्ञप्ति 29/2021

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>जनपद फिरोजाबाद/थाना रामगढ़</u>

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के सोने–चाँदी के आभूषण**
- **लूट की 01 मोटर साइकिल**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित 02 खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 28.08.2021 को थाना रामगढ़ व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चनौरा पेट्रोलपम्प के सामने रैपुरा रोड कूडा घर के पास चेकिंग के दौरान पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्तों 1–अंकित 2–दीपू को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के सोने–चाँदी के आभूषण, लूट की 01 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित 02 खोखा कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त अंकित के विरूद्ध जनपद फिरोजाबाद, इटावा, आगरा के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट आदि के 08 अभियोग एवं अभियुक्त दीपू के विरूद्ध जनपद फिरोजाबाद के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, आर्म्स एक्ट के 03 अभियोग पंजीकृत है। दिनांक 06.07.2021 को थाना रामगढ़ क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना रामगढ़ पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, मोटर साइकिल आदि उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना रामगढ़ पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अंकित निवासी पैगू थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद।

2–दीपू निवासी खाड़ा थाना बरहन जनपद आगरा।

बरामदगी

1–लूट के सोने–चाँदी के आभूषण।

2–लूट की 01 मोटर साइकिल।

3–02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित 02 खोखा कारतूस।

जनपद अमेठी/थाना शिवरतनगंज

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 10 हजार 300 रूपये नगद**
- **लूट के 01 आधार कार्ड**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 29.08.2021 को थाना शिवरतनगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सरैया सलारपुर मोड़ के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी, जिसमें उ0नि0 तनुज पाल घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में बदमाश अविनाश कुमार घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य बदमाश मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूट के 10 हजार 300 रूपये नगद, लूट के 01 आधार कार्ड, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 खोखा कारतूस बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद अम्बेडकरनगर, सुलतानपुर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, डकैती, लूट आदि के 05 अभियोग पंजीकृत है। दिनांक 21.08.2021 को थाना शिवरतनगंज क्षेत्रान्तर्गत बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना शिवरतनगंज पर अभियोग पंजीकृत है, गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपया उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना शिवरतनगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–अविनाश कुमार निवासी हीडी पकडिया थाना महरूआ जनपद अम्बेडकरनगर।

<u>बरामदगी</u>

1–लूट के 10 हजार 300 रूपये नगद।

2–लूट के 01 आधार कार्ड।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 खोखा कारतूस।

<u>जनपद गाजियाबाद/थाना कोतवाली</u>

- **02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 04 चार पहिया वाहन बरामद**

दिनांक 29.08.2021 को थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हिन्दनगर तिराहे के पास चेकिंग के दौरान 02 शातिर अभियुक्तों 1–गुफरान उर्फ भुल्लन 2–शकील उर्फ भुरवा उर्फ भूरा उर्फ मजीद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 04 चार पहिया वाहन बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त गुफरान उर्फ भुल्लन के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, जनपद मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़ एवं दिल्ली के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, धोखाधड़ी आदि के 20 अभियोग एवं अभियुक्त शकील उर्फ भुरवा उर्फ भूरा उर्फ मजीद के विरूद्ध जनपद गाजियाबाद, हापुड, अमरोहा, मेरठ, बिजनौर व दिल्ली के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, डकैती, लूट, चोरी, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 35 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—गुफरान उर्फ भुल्लन निवासी सदियाबाद लोटी थाना मुण्डाली जनपद मेरठ।
2—शकील उर्फ भुरवा उर्फ भूरा उर्फ मजीद निवासी जिसौरा थाना मुण्डाली जनपद मेरठ।

बरामदगी

1—चोरी की 04 चार पहिया वाहन।

जनपद सम्भल/थाना रजपुरा

- **02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 10 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 28.08.2021 को थाना रजपुरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर उधरनपुर तिराहे का पास चेकिंग के दौरान 02 शातिर अभियुक्तों 1—सत्यपाल 2—मुनाजिर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 10 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त सत्यपाल हिस्ट्रीशीटर अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद सम्भल के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 11 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त जनपद गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, मुरादाबाद, सम्भल आदि जगहों से मोटर साइकिल चोरी कर ग्राहक मिलने पर बेच देते है।

इस सम्बन्ध में थाना रजपुरा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—सत्यपाल निवासी कुदारसी थाना रजपुरा जनपद सम्भल।

2—मुनाजिर निवासी रानी वाला थाना आदमपुर जनपद अमरोहा।

<u>बरामदगी</u>

1—चोरी की 10 मोटर साइकिल।

<u>जनपद सहारनपुर/थाना चिलकाना</u>

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 08 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 28.08.2021 को थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पैरागपुर रजवाहे की पुलिया के पास चेकिंग के दौरान 03 अभियुक्तों 1—तसलीम 2—बृजेश 3—जुबैर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 08 मोटर साइकिल बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना चिलकाना पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—तसलीम निवासी बुडढ़ाखेडा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

2—बृजेश निवासी दबकौरा थाना बेहट जनपद सहारनपुर।

3—जुबैर निवासी संगमौर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

<u>बरामदगी</u>

1—चोरी की 08 मोटर साइकिल आदि।

जनपद सहारनपुर/थाना बड़गांव

- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 04 लाख रूपये कीमत की 92 पेटी अवैध शराब**
- **01 ट्रक, 01 सियाज कार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 28.08.2021 की रात्रि थाना बड़गांव पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान 05 अभियुक्तों 1—जोनी 2—साहिल 3—अनिल उर्फ लाला 4—अमन 5—अजय उर्फ सूमो को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 04 लाख रूपये कीमत की 92 पेटी अवैध शराब, 01 ट्रक, 01 सियाज कार, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना बड़गांव पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—जोनी निवासी मेहन्दीपुर थाना मुरथल जनपद सोनीपत हरियाणा।

2—साहिल निवासी दुब्बलधन थाना बेरी जनपद झल्लर हरियाणा।

3–अनिल उर्फ लाला निवासी आसन्डा थाना बहादुरगढ़ सदर जनपद झज्जर हरियाणा।

4–अमन निवासी आसन्डा थाना बहादुरगढ़ सदर जनपद झज्जर हरियाणा।

5–अजय उर्फ सूमो निवासी पान्ना गिलाना थाना मुरथल जनपद सोनीपत हरियाणा।

बरामदगी

1–लगभग 04 लाख रूपये कीमत की 92 पेटी अवैध शराब।

2–01 ट्रक, 01 सियाज कार।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस आदि।

एस0टी0एफ–जनपद जौनपुर से रू0 50,000/– तथा जनपद सुलतानपुर एवं अम्बेडकरनगर से रू0 25–25 हजार के पुरस्कार घोषित/वांछित शातिर लुटेरे दीपक तिवारी को एसटीएफ उ0प्र0 ने सुलातनपुर से किया गिरफ्तार।

दिनांक 28–08–2021 को एसटीएफ, उ0प्र0 को जनपद जौनपुर से रू0 50,000/– तथा जनपद सुलतानपुर एवं अम्बेडकरनगर से रू0 25–25 हजार का इनामी/वांछित शातिर लुटेरे दीपक तिवारी को थाना क्षेत्र दोस्तपुर, जनपद सुलतानपुर से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

दीपक तिवारी उर्फ अर्पित तिवारी पुत्र सुनील तिवारी नि0 चौबाहा, थाना सरपतहा, जनपद–जौनपुर।

बरामदगी का विवरणः–

1– 01 अदद तमन्चा 12 बोर।

2– 03 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर।

3– 01 अदद मिस कारतूस 12 बोर।

4– 11,060/– रु0 नगद।

5– 01 अदद वोटर आईडी।

<u>गिरफ्तारी का दिनाँक, समय व स्थान</u>–

दिनाँक 28–08–2021 समय 23.45 बजे देशी शराब की दुकान के पास गौसेसिंहपुर बाजार, थाना दोस्तपुर, सुलतानपुर (उ0प्र0)

विगत काफी दिनों से पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपदों में वांछित पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर अपराधिक घटनाओं को अंजाम दिये जाने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में श्री विशाल विक्रम सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ मुख्यालय, लखनऊ के नेतृत्व में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

अभिसूचना संकलन के क्रम में दिनांक 28–08–2021 को उपनिरीक्षक श्री शिवनेत्र सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 मनोज सिंह, आरक्षी रमेश उपाध्याय, अमित कुमार की एक टीम जनपद सुलतानपुर में अभिसूचना संकलन हेतु भ्रमणशील थी। इसी दौरान अभिसूचना संकलन के माध्यम से ज्ञात हुआ कि जनपद जौनपुर से रू0 50,000/– तथा जनपद सुलतानपुर एवं अम्बेडकरनगर से रू0 25–25 हजार का इनामी/वांछित शातिर लुटेरा दीपक तिवारी थाना क्षेत्र दोस्तपुर के गौसेसिंहपुर बाजार में देशी शराब की दुकान के पास मौजूद है, इस सूचना पर तत्काल एसटीएफ टीम ज्ञात स्थान पर पहुॅचकर वांछित अपराधी दीपक तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि वर्ष–2017 में रंगदारी व हत्या का प्रयास कर जनपद आजमगढ़ से अपराध जगत में प्रवेश किया। इसने दिनांक 13.06.2021 को प्रातः 11 बजे से दोपहर 2.30 के बीच अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर थाना क्षेत्र कादीपुर व दोस्तपुर की सीमा पर अल्प समय में 03 लूट की घटनाओं का शातिर तरीके से इंजाम दिया जिसमें ग्राहक सेवा केन्द्र पलिया देवपुर पर शुभम पाण्डेय की गोली मारकर हत्या कर दी। प्रायः यह लूट की घटनाओं को स्वयं अचानक रैकी कर अपने साथियों के साथ मिलकर कारित करता है जिसमें मुख्य रूप से

शराब ठेका, डाक्टर के क्लीनिक में घुसकर, ग्राहक सेवा केन्द्र, पेट्रोल टंकी, भाड़े पर हत्या की घटनाओ को अंजाम देता है। इस प्रकार इस पर अब तक करीब 2 दर्जन अभियोग जनपद आजमगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर के विभिन्न थानों में पंजीकृत है।

वर्षवार विवरण निम्नवत् है–

1. **वर्ष–2019** में सायं करीब 4 बजे नन्दगांव गोठांव, थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ में अपने साथी राजन यादव व शैलेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ एस0पी0 के साथ मिलकर पेट्रोल पम्प पर 39 हजार रूपये की लूट किया।

2. **वर्ष–2019** में सायं करीब 7 बजे अंग्रेजी शराब ठेका बिलारमऊ थाना पवई आजमगढ़ में अपने साथी राजन यादव व शैलेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ एस0पी0 के साथ मिलकर प्लेटिना मो0सा0 से लूट किया जिसमें मात्र 1500 रूपय मिला था।

3. **वर्ष–2019** में सायं करीब 8 बजे ठेकमा बाजार में डा0 मौर्या की क्लिनिक में अपने साथी राजन यादव व मनीष पाठक के साथ मिलकर, सुपर स्पेलेन्डर मोटर साइकिल (काले रंग की) से 15,000 रूपये की लूट किया।

4. 13 मार्च 2019 में दोपहर करीब 2:30 से 3 बजे के बीच अग्रहरि आभूषण केन्द्र गायत्री बाजार थाना खुटहन जौनपुर में दिन–दहाड़े अपने साथियों दिग्विजय उर्फ भोलू, मनीष पाठक, राजन यादव, शैलेन्द्र प्रातप सिंह यादव उर्फ एस0पी0 के साथ मिलकर चोरी की मो0सा0 काले रंग की सुपर स्पेलेन्डर व चोरी की काले रंग की पल्सर मोटर साइकिल से लूट की घटना को वीभत्स तरीके से अंजाम दिया जिसमें करीब 20–22 कि0ग्रा0 चांदी लगभग डेढ़ किलो ग्राम सोना व करीब 5 लाख रूपया नकद की लूट किया। घटना के समय पब्लिक द्वारा रोकने का प्रयास कर पथराव किया गया तो स्वयं व साथियों ने मिलकर भरी बाजार में पिस्टल व 315 बोर के कट्टे से बाजार में करीब 15 राउण्ड फायरिंग की गई जिसमें एक टैम्पों चालक की मौके पर मृत्यु हो गई तथा दुकान मालिक श्याम जी अग्रहरि के सिर में व एक अन्य व्यक्ति के हाथ में गोली लगी थी, जिसमें कई लोग बुरी तरह घायल हुए थे।

5. **<u>वर्ष 2019</u>** में स्वयं, करिया प्रजापति (प्रधान) नि0–पलिया थाना सरपतहा जौनपुर के घर के पास प्राथमिक विद्यालय पर जाकर अपराहन 3 बजे जाकर धमकी देकर 5 लाख रूप्ये की रंगदारी मांग किया था।

6. **<u>वर्ष–2020</u>** में थाना खेतासराय जौनपुर में 10 लाख रूपये में हत्या की सुपारी लेकर अपने साथी कल्लू यादव, शैलेन्द्र यादव के साथ लूट की पल्सर मोटर साइकिल (काली/लाल) से हत्या करने गया था, परन्तु पुलिस की सजगता के कारण हत्या नहीं कर पाया और मुकदमा पंजीकृत हो गया था, जिसमें वर्तमान में वांछित है।

7. **<u>मई 2021</u>** में दोपहर करीब 3 बजे थाना चांदा अन्तर्गत ग्राहक सेवा केन्द्र पर अपने साथी अभिषेक शुक्ला व माधवेश तिवारी के साथ चोरी की अपाची मोटर साइकिल से 5500 रूपये की असलहा दिखाकर लूट किया था।

8. **<u>वर्ष–2021</u>** में ही सायं करीब 8:30 बजे अपने साथी अंबुज यादव के कहने पर सरैंया बाजार थाना दोस्तपुर जनपद सुल्तानपुर में डाक्टर की क्लीनिक पर अपने साथी अंबुज यादव, प्रशान्त पाण्डेय उर्फ कल्लू पंडित, खोटू यादव उर्फ छोटू, अजय निषाद के साथ मिलकर चोरी की सुपर स्पेलेन्डर काली व एक स्पेलेन्डर से 5000 रूपये की लूट किया।

9. **दिनांक 13.06.2021** को अपराहन 11 बजे से 3 बजे के बीच एक ही दिन में अलग–अलग जगहों पर अपने साथी हिमांशु सिंह व अभिषेक शुक्ला के साथ मिलकर 3 घटनाओं को अंजाम दिया था जिसमें चोरी की अपाची मोटर साइकिल व एक सुपर स्पेलेन्डर हल्की काले लाल रंगी का प्रयोग किया था। घटना के समय प्रशान्त पाण्डेय उर्फ कल्लू पंडित व माधवेश तिवारी अपाची मो0सा0 से बैकअप दे रहे थे। जिसमें (i) पहली घटना पडेला कस्बे में डाक्टर की क्लीनिक पर करीब 11 बजे 5500 रूपये की लूट डाक्टर के सिर पर कट्टे की बट से चोट मारकर किया था (ii) पलिया देवापुर थाना दोस्तपुर में ग्राहक सेवा केन्द्र पर 12 बजे अपराह्न में अपने साथी अभिषेक शुक्ला के कहने पर 3500 रूपये की लूट किया। (iii) जब पलिया देवापुर की घटना के समय

पब्लिक ने दौड़ा लिया तो भागकर पुनः दूसरी तरफ 500 मीटर बाद जाकर पलिया दोस्तपुर में ही ग्राहक सेवा केन्द्र में करीब 2:30 बजे ग्राहक सेवा केन्द्र संचालक को गोली मारकर 38 हजार रूपया लूट लिया। पब्लिक दौड़ाने व पत्थरबाजी करने पर पिस्टल से 4–5 राऊण्ड फयर किया जिसमें एक गोली शुभम पाण्डेय ग्राहक सेवा केन्द्र संचालक को लग गयी थी, जिसकी मौके पर मृत्यु हो गई थी।

उल्लेखनीय है कि यह अल्प आयु का कुख्यात किस्म का लुटेरा है जो राह चलते रैकी कर अपने साथियों के साथ तत्काल घटना को अंजाम देता है तथा कम साथियों के साथ घटना करने पर विश्वास रखता है। घटना में चोरी व लूटे गये वाहनों का प्रयोग करता है। घटना के समय स्वयं वाहन चलाता है एवं घटना कारित करने के बाद मुख्य सड़क का प्रयोग न करके गलियों के रास्ते से फरार हो जाता है। अधिकतर यह मुख्य सड़क का प्रयोग आने जाने में भी नहीं करता है।

दीपक तिवारी उर्फ अर्पित तिवारी का आपराधिक इतिहासः–

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	**165/21**	**394 भादवि (वांछित)**	**जलालपुर**	**अम्बेडकरनगर**
2	**322/21**	**302 भादवि (वांछित)**	**कादीपुर**	**सुलतानपुर**
3	**355/21**	**395, 412 भादवि (वांछित)**	**कादीपुर**	**सुलतानपुर**
4	**122/21**	**392, 411 भादवि (वांछित)**	**सरपतहा**	**जौनपुर**
5	**217/21**	**392, 402 भादवि (वांछित)**	**सरपतहा**	**जौनपुर**
6	**144/21**	**396, 412 भादवि (वांछित)**	**दोस्तपुर**	**सुलतानपुर**
7	**145/21**	**395, 412 भादवि (वांछित)**	**दोस्तपुर**	**सुलतानपुर**
8	11/17	307 भादवि	कादीपुर	सुलतानपुर
9	257/17	356, 386, 341, 411 भादवि	पवई	आजमगढ़
10	357/17	356, 386, 341, 441 भादवि	पवई	आजमगढ़
11	22/19	392 भादवि	मेहनगर	आजमगढ़
12	22/19	392 भादवि	निजामाबाद	आजमगढ़
13	22/19	392 भादवि	अतरौलिया	आजमगढ़
14	25/19	392 भादवि	कप्तानगंज	आजमगढ़
15	27/19	392 भादवि	देवगॉव	आजमगढ़
16	36/19	392 भादवि	सिधारी	आजमगढ़
17	44/19	394 भादवि	गम्भीरपुर	आजमगढ़
18	45/19	386 भादवि	सरपतहा	जौनपुर
19	81/19	396, 412 भादवि	खुटहन	जौनपुर
20	83/19	392 भादवि	बदलापुर	जौनपुर

21	375/19	3(1) यूपी गै0एक्ट	खुटहन	जौनपुर
22	217/20	399, 402 भादवि	सरपतहा	जौनपुर
23	22/21	120, 115 बी, भादवि	सरपतहा	जौनपुर
24	355/21	395, 412 भादवि	कादीपुर	जौनपुर
25	***194/21***	***3/25 भादवि***	***दोस्तपुर***	***सुलतानपुर***

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना दोस्तपुर, जनपद–सुलतानपुर पर मु0अ0सं0 194/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया है, अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

एस0टी0एफ–वर्ष–2016 में पेशी के दौरान पुलिस अभिरक्षा से फरार चल रहे व रू0 50,000/– रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी होशियार को एसटीएफ ने जनपद झॉसी से किया गिरफ्तार।

आज दिनॉकः 29.08.2021 को एस0टी0एफ उ0प्र0 को वर्ष–2016 से फरार चल रहे व 50,000/–रूपये के पुरस्कार घोषित अपराधी होशियार को जनपद झॉसी के बस स्टैण्ड से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

होशियार पुत्र रघुनथा, निवासी ग्राम सरवां थाना बबीना जनपद झॉसी।

गिरफ्तार अभियुक्त से बरामदगी –

1. 01 अदद मोबाइल फोन
2. 1000/– नगद।

गिरफ्तारी का स्थान व समयः–झॉसी बस स्टैण्ड, दिनांक 29–08–2021 समयः 04:15 बजे प्रातः।

विगत काफी दिनों से प्रदेश के जनपदों में वांछित पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर अपराधिक घटनाओं को अंजाम दिये जाने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में निरीक्षक श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह एसटीएफ फील्ड इकाई, कानपुर के नेतृत्व में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

सूचना संकलन के क्रम में सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त होशियार पुत्र रघुनथा निवासी ग्राम सरवां थाना बबीना जनपद झॉसी जो कि मु0अ0सं0—398/14 धारा 302 भा0द0वि0 थाना बबीना से नामजद अभियुक्त होने के कारण गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त मा0 न्यायालय में पेशी के दौरान वर्ष—2016 में 03 अन्य अभियुक्तों के साथ सदर हवालात से पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया था, जिसके सम्बन्ध में थाना नबाबाद पर मु0अ0सं0 723/2016 धारा 223/224 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया था। उक्त अभियुक्त के लगातार फरार चलने के कारण अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु रू0 50,000/—(पचास हजार रूपये) रूपये पुरस्कार घोषित किया गया था। जो महाराष्ट्र, दिल्ली, म0प्र0, एवं उ0प्र0 में छिप—छिपाकर मजदूरी का कार्य करता है एवं जनपद झॉसी आता—जाता है। इस सूचना पर एसटीएफ इकाई कानपुर जनपद झॉसी में भ्रमणशील थी, इसी दौरान ज्ञात हुआ कि वांछित अभियुक्त होशियार बस स्टैण्ड के पास खड़ा है जो कही जाने की फिराक में है, इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा बस स्टैण्ड से अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि वर्ष—2014 में उसके विरूद्ध थाना बबीना में हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें वह गिरफ्तार होकर झॉसी जेल गया था। झॉसी जेल में ही उसकी मुलाकात वर्ष 2016 में एक अन्य अभियुक्त सूरज अहिरवार से हुई। सूरज अहिरवार ने इससे कहा कि दो साल से तुम्हारी जमानत नहीं हो पायी है और जेल में ही रहते तुम्हे आजीवन कारावास हो जायेगा और यही पर मर जाओगे। इसके बाद सूरज अहिरवार एवं अभियुक्त होशियार ने जेल से फरार होने की योजना बनाई तथा मा0 न्यायालय में पेशी के दौरान योजनाबद्ध तरीके से सूरज अहिरवार, होशियार एवं अन्य दो अभियुक्त सदर हवालात से फरार हो गये। अभियुक्त होशियार फरारी के दौरान महाराष्ट्र, दिल्ली, म0प्र0 व उ0प्र0 के विभिन्न जनपदों में घूम—घूमकर मजदूरी का कार्य कर रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त होशियार के विरूद्ध थाना नबाबाद झॉसी में वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>एस0टी0एफ0—हत्या की घटना में आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किये जाने पर वांछित चल रहे रूपये 25,000/— का इनामी अपराधी फहीमुदीन गिरफ्तार।</u>

आज दिनांकः 29—08—2021 को माननीय न्यायालय ए0डी0जे0— 10 बुलन्दशहर द्वारा हत्या की घटना में आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किये जाने पर मा0 न्यायालय में आत्म समर्पण न किये जाने पर फरार चल रहें रूपये 25 हजार के इनामी अपराधी फहीमुदीन को गिरफ्तार करने में एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को सफलता प्राप्त हुयी ।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः—</u>

1—फहीमुदीन पुत्र मल्ला निवासी फर्राशान थाना कोतवाली नगर, जनपद बुलन्दशहर।

दिनांक घटना/घटनास्थल/समय— दिनांक 29—08—2021, मुस्तफाबाद, गली नम्बर—22 दिल्ली क्षेत्र, समयः लगभग 10.30 बजे

विगत काफी दिनों से प्रदेश के जनपदों में वांछित पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर अपराधिक घटनाओं को अंजाम दिये जाने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त के क्रम में श्री राज कुमार मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 गौतमबुद्धनगर के निर्देशन एवं श्री विनोद सिंह सिरोही, पुलिस उपाधीक्षक, श्री देवेन्द्र कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0, यूनिट नोएडा के नेतृत्व में उप निरीक्षक श्री अक्षय पी0के0 त्यागी, एस0टी0एफ0 की टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

आज दिनांक 29—08—2021 को अभिसूचना संकलन के दौरान विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई कि ईनामी अपराधी फहीमुदीन, जो थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर के मु0अ0सं0ः 120/21 धारा 147, 148, 149, 302, 307 भादवि के अभियोग में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्देशों के उपरान्त भी माननीय न्यायालय में

उपस्थित न होने पर फरार चल रहा है, जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद बुलन्दशहर के स्तर से रूपये 25,000/— का ईनाम घोषित है, दिल्ली के मुस्तफाबाद क्षेत्र में मौजूद है। इस सूचना पर एस0टी0एफ0 फील्ड यूनिट गौतमबुद्धनगर की टीम द्वारा गन्तव्य स्थान पर पहुँचकर घेराबंदी करके ईनामी अपराधी फहीमुदीन, उपरोक्त को आज दिनांक 29—08—2021 को समय लगभग 10.30 बजे मुस्तफाबाद, गली नम्बर—22 दिल्ली क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त फहीमुदीन, उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि उसकी उम्र लगभग 70 साल है। बताया कि उसने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर दिनांक 20—02—2001 को जनपद बुलन्दशहर के चावल व्यापारी यासीन कुरैशी की घर में घुसकर गोली मारने के बाद गला काटकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर, बुलन्दशहर पर मु0अ0सं0 120/2001 धारा 147, 148, 149, 307, 302 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा उसको (फहीमुदीन) आजीवन कारवास की सजा सुनाई गई थी। बाद में अपील पर जमानत पर यह अपराधी जेल से बाहर आया था तथा दिनांक 04—04—2019 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा गया था । माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने अपराधी फहीमुदीन आदि को मा0 न्यायालय में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था परन्तु अपराधी फहीमुदीन ने आत्मसमर्पण नहीं किया तथा इसके विरूद्ध मा0 अपर स़त्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0—9 बुलन्दशहर के द्वारा दिनांक 23—04—2019 को गैर जमानती वारण्ट जारी कर दिया गया था। तदोपरान्त दिनांक 16—01—2020 को अभियुक्त फहीमुदीन की गिरफ्तारी हेतु रूपये 25,000/— का पुरस्कार घोषित किया गया था।

उल्लेखनीय है कि मु0अ0सं0 120/2001 धारा 147/148/149/302/307 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर की हत्याकाण्ड में अभियुक्त फहीमुदीन के साथ अभियुक्त मेहरबान पुत्र कल्लू निवासी मनिहारों वाला कुँआ, रूकनसराय थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर भी सम्मिलित रहा था। माननीय उच्च न्यायालय

इलाहाबाद के द्वारा आजीवन कारावास की सजा को वर्ष– 2019 में बरकरार रखा गया था और तभी से अभियुक्त मेहरबान भी फरार चल रहा था। फरारी के दौरान अभियुक्त मेहरबान ने अपने गैंग के सदस्यों के साथ दिनांक 27–05–2019 को जनपद गौतमबुद्धनगर के थाना जारचा क्षेत्र में 65 लाख रूपये की लूट की थी और इसी लूट की घटना में अभियुक्त मेहरबान की गिरफ्तारी पर रूपये एक लाख का पुरस्कार घोषित हो रखा था। अभियुक्त मेहरबान दिनांक 18–07–2019 को एस0टी0एफ0 नोएडा गौतमबुद्धनगर के साथ हुई साहसिक मुठभेड़ में घायल हो गया था, जिसकी बाद में उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी ।

अभियुक्त फहीमद्दीन, उपरोक्त के सम्बन्ध में अब तक की गई छानबीन से निम्नवत् अभियोग पंजीकृत होना प्रकाश में आया है:–

अभियुक्त फहीमुदीन, उपरोक्त का निम्न आपराधिक इतिहास प्राप्त हुआ है–

क0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1.	222ए / 76	307 भादवि	कोतवाली नगर	बुलन्दशहर
2.	495 / 97	504 / 506 भादवि	कोतवाली नगर	बुलन्दशहर
3.	120 / 2001	147 / 148 / 149 / 302 / 307 भादवि	कोतवाली नगर	बुलन्दशहर
4.	985 / 2001	304 भादवि	कोतवाली नगर	बुलन्दशहर
5.	05 / 2002	2 / 3 गैगेस्टर एक्ट	कोतवाली नगर	बुलन्दशहर
6.	1552 / 18	307 भादवि	कोतवाली नगर	बुलन्दशहर

अभियुक्त फहीमद्दीन, उपरोक्त को थाना कोतवाली नगर, जनपद बुलन्दशहर के मु0अ0सं0 120 / 2001 धारा 147 / 148 / 149 / 302 / 307 भादवि के अभियोग में दाखिल किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

————————